(वाद संख्या–**3148/18**)

08.07.2020

परिवादी, मो0 रफी पिता–मो0 कलीमउद्दीन मरहूम, सा0–खातोपुर, थाना–मुफसिल, जिला–बेगूसराय से संबंधित परिवाद–पत्र पर पुलिस अधीक्षक, बेगूसराय द्वारा समर्पित प्रतिवेदन का अवलोकन किया।

पुलिस अधीक्षक, बेगूसराय द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि भा0द0वि0 की धाराओं, 147/ 148/ 149/ 188/ 323/ 341/ 332/ 333/ 307/ 427 एवं 3/4 सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के अन्तर्गत संस्थित मुफसिल (लाखो) थाना कांड संख्या–184/18, दिनांक–13.04.2018 के फरार नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार छापामारी की जा रही है तथा अज्ञात अभियुक्तों के कांड में संलिप्तता के बिन्दु पर निर्णय लेने हेतु साक्ष्य संकलित करने की कार्रवाई की जा रही है।

अब, जबकि उक्त प्रसंगाधीन मामले के संबंध में मुफसिल (लाखो) थाना कांड संख्या–184/18, दिनांक–13.04.2018 के फरार नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार छापामारी की जा रही है एवं अज्ञात अभियुक्तों के कांड में संलिप्तता के बिन्दु पर अभियुक्तिकरण के बिन्दु पर निर्णय लेने हेतु साक्ष्य संकलित करने की कार्रवाई की जा रही है तथा कांड के अनुसंधानान्तर्गत रहने के कारण प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर पुलिस अधीक्षक, बेगूसराय के प्रतिवेदन के आलोक में आयोग के स्तर पर इसे संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार पुलिस अधीक्षक, बेगूसराय द्वारा समर्पित प्रतिवेदन (पृ0–26–25/प0) की प्रति संलग्न कर परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य।

सहायक निबंधक